

कायालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एव नाडल आधकारा, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:— ~~2846~~ FP/UK/ROAD/12810/2015 देहरादून: दिनांक: 16 जून, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,  
25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:— जनपद बागेश्वर में व्हीलकुलवान स्योकुणा ग्वालदम नाम लिंक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या—12810/2015)

संदर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 11.07.2019

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 11.07.2019 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 4609/12-1 दिनांक 14.06.2021 से प्राप्त आख्या प्रेषित की जा रही है :-

Sn	Query	Query Removed
1	बिन्दु संख्या 02 के प्रति उत्तर में एन0पी0वी0 की Density 0.2 हार्ड कापी में अंकित की गई है जबकि ऑनलाईन वेब पोर्टल पर 0.3 अंकित की गई है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय को प्रेषित करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि टंकण की त्रुटिवश एन0पी0वी0 की density 0.3 ऑनलाईन अंकित हो गयी थी जिसका ऑनलाईन संशोधन कर लिया गया है।
2	बिन्दु संख्या 06 के प्रतिउत्तर में पार्ट- III, IV & V की हार्ड कापी अभी तक इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गई है। अतः राज्य सरकार पार्ट- III, IV & V की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	प्रकरण के III, IV & V ऑनलाईन अपलोड कर दिये गये हैं।
3	बिन्दु सं0 07 के प्रतिउत्तर में मलुवा निस्तारण योजना ठीक नहीं पाई गई है तथा Reclamation plan अभी तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है।	Reclamation plan for muck dumping site प्रस्तावक विभाग द्वारा Online upload कर दिया गया है।
4	मलुवा निस्तारण हेतु वन भूमि का चयन किया गया है जो कि मान्य नहीं है। अतः राज्य सरकार मलुवा निस्तारण हेतु गैर-वन क्षेत्र का चयन करना सुनिश्चित करें तथा मलुवा निस्तारण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण पृथक से प्रस्तुत करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि muck dumping site पर कोई पेड़ प्रभावित नहीं हो रहा है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक— यथोपरि

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या / FP/UK/ROAD/12810/2015/दिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 4609/12-1 दिनांक 14.06.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।